

बिहार सरकार
कृषि विभाग

पत्र संख्या-3/कृ0 बजट-आवंटन-23/2015 107 (आवंटन) कृ0, पटना, दिनांक 21-09-2015
प्रेषक,

प्रभु राम,
निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

सेवा में, मुख्य लेखा पदाधिकारी,
कृषि विभाग, बिहार, पटना

विषय : राज्य किसान आयोग को वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदान मद में 111.02 लाख रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख दो हजार रु०) मात्र की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 92.00 लाख रुपये (बेरानवे लाख रु०) सहायक अनुदान की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति के फलस्वरूप व्यय हेतु कुल ₹92,00,000 (बेरानवे लाख रु०) मात्र की राशि का आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-4450 दिनांक-02.09.2015 द्वारा राज्य किसान आयोग को वर्ष 2015-16 में सहायक अनुदान मद में 111.02 लाख रुपये (एक करोड़ ग्यारह लाख दो हजार रु०) मात्र की स्वीकृति तथा इसके अधीन सामान्य जाति के लिए 92.00 लाख रुपये (बेरानवे लाख रु०) की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति हुई है। व्यय हेतु कुल ₹92,00,000 (बेरानवे लाख रु०) मात्र की राशि आवंटित की जाती है।

2. उपरोक्त ₹92,00,000 (बेरानवे लाख रु०) की राशि का व्यय बजट शीर्ष-2401-फसल कृषि कर्म-उप मुख्य शीर्ष-00-लघु शीर्ष-109-विस्तार तथा किसानों को प्रशिक्षण माँग सं०-01- उपशीर्ष - 0106 -इन्टेनसीफायड फिल्ड डेवलपमेंट एण्ड ट्रेनिंग सपोर्ट नई योजना, विपत्रकोड- P2401001090106 राज्य योजना स्कीम कोड-AGR-5022 विषयशीर्ष-3104-सहायक अनुदान वेतन मद में वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. यह राशि वित्त विभाग के पत्रांक-2561 वि० (2) दिनांक-17.04.98 एवं पत्रांक-5294 दिनांक-17.06.2015 के आलोक में दी जा रही है।

4. इस योजना के स्वीकृत्यादेश में निहित शर्तों/निर्देशों के आलोक में ही निकासी एवं व्यय किया जाय, जिसकी पूर्ण जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

5. व्यय के तुरत बाद टी० भी० नं० के साथ व्यय विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दी जाय।

विश्वासभाजन,


(प्रभु राम)

निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।

ज्ञापांक

107 (आवंटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-09-2015

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. संबंधित कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।




निदेशक प्रशासन-सह-अपर सचिव।



ज्ञापांक

107 (भाषाटन)

/कृ०, पटना, दिनांक 21-09-, 2015

प्रतिलिपि : अध्यक्ष राज्य किसान आयोग बिहार, पटना/कृषि निदेशक बिहार, पटना/निदेशक पी०पी०एम०/भूमि संरक्षण/उद्यान बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना /संयुक्त कृषि निदेशक (योजना) कृषि विभाग, बिहार पटना/अवर सचिव किसान आयोग बिहार, पटना /प्रशाखा पदाधिकारी योजना (सचिवालय/निदेशालय) कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. उप निदेशक, (शष्प) सूचना /आई टी मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर डालने एवं संबंधित पदाधिकारी तथा संबंधित कोषागार पदाधिकारी को ई-मेल करने हेतु प्रेषित।

सुभा

निदेशक प्रशासन सह अपर सचिव।

नाम